जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
41/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 41/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

10–01–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला (मजिस्ट्रेट) कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से सूचनांए चाही गयी थी जो उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई हैं, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला (मजिस्ट्रेट) कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. लोक सभा चुनाव 2014 की गजट सूचना, प्रारम्भ होने सी पूर्व चुनाव सम्पन्न होने तक चुनाव सम्बन्धी निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आहत(बुलाई गई) मीटिंगो मे चुनाव सम्बन्धी कर्मचारियों अधिकारियों व बीएलओ को दिये गये दिशा निर्देश सम्बन्धी नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि नियम की
2. चुनाव सम्बन्धी बुलाई गई मीटिंगो की दिनांक की सूचनाए मीटिंगो की कार्यवाहियों की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपियां
3. चुनाव के दौरान कर्मकार को अवकाश पर जाने हेतु व मुख्य स्थान से बाहर कार्य के लिए जाने की अवस्था में अपना चुनाव कार्य जिस अधिकारी के आदेशों से जिस अधिकारी को सौपा होगा व जिस चुनाव अधिकारी से अवकाश की अनुमति मांग की होगी व मुख्य स्थान से बाहर जाने की अवस्था से जिस चुनाव अधिकारी से अनुमति मांगनी आवश्यक है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 1900 दि0 04.04.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र सख्या 148 दिनांक 04.01.2016 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 148 दिनांक 04.01.2016 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P-T-O

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 41/2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपने पत्रांक 5513 दिनांक 15.12.2015 में बिन्दुवार सूचनाएं चाही है। सूचना के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक संविदा रिपोर्ट कागजात, नमूने, माडल सम्बन्धी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुचं हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही है जो अभिलेख में उपलब्ध हो। अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु निर्धारित अवधि में कार्यालय समय में उपस्थित होकर कर सकते है।

इस सम्बन्ध में निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी हेतु निर्वाचन विभाग की वैबसाईट ceorajasthan.nic.in पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 1 से 5 तक की जो सूचनांए चाही गई है वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में, सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 04.01.2016 सही है फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

237-33
25-1-17

आदेश आज दिनांक 10.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर